

12-04-2022

आधिवक्ता वादी व वादी स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली  
आज वारीख पेशी पर लेकर सुनवाई का निवेदन किया। प्रार्थना-  
पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज सुनवाई में ली गई।  
आधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त  
वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, अतः पत्रावली  
में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं व बाद पत्र जरिये विद्रोह  
खारिज करवाना चाहते हैं। अतः आधिवक्ता वादी व वादी स्वयं के प्रार्थना-  
पत्र को स्वीकार किया जाकर बाद वादी जरिये विद्रोह खारिज किया  
जाता है। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली फेराल शमार हे प्रदायल दफतर हो।

Ram Kumar  
[Signature]

सहायक कलक्टर  
पब्लिक प्रोसेक्यूटर् ऑफिस